न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 44 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भीमाराम पुत्र नेकाराम		1 हेमाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल
2 खेताराम पुत्र नेकाराम		निवासी फालना गांव तहसील बाली
3 छोगी पत्नी नेकाराम		
4 मीरो पत्नी सोनाराम		
5 मोहनलाल पुत्र सोनाराम		
6 हरीश कुमार पुत्र सोनाराम		
7 रणवीरसिंह पुत्र सोनाराम		
8 मालाराम पुत्र पनाराम		
9 भीकाराम पुत्र पन्नाजी जातिगण चौधरी निवासीगण फालना गांव तहसील बाली		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री सूरज प्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.12(3)राज./रास्ता/2015/1270 दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा खीमेल के खसरा नम्बर 1029 रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 1019 रकबा 2.20 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रदान नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग मौजूद था, जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की एवं न ही रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 1028 से आवागमन करते आ रहे है। इसके अलावा भी खसरा नम्बर 1020, 1025 व 1026 की भूमि वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध है, जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मार्ग कायम करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को जो नोटिस जारी किऐ, वे नोटिस विधिवत तामील भी नहीं हुए, इस कारण अपीलाण्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थन रहे है। इसके अतिरिक्त जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह भू0अ0नि0 द्वारा तैयार की गई है, जो एकपक्षीय रूप से तैयार की है। मौका अनुसार कोई जांच नहीं की एवं न ही किसी स्वतन्त्र साक्ष्य की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र रानी सड़क से अपनी भूमि को जोडने हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ते का अनुतोष चाहा है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट को रास्ता प्रदान किया है, वह विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स /अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विधि अनुसार तहसीलदार बाली से मौका रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें तहसीलदार द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना बताया एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कराने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गए अभिलेखों एवं दस्तावेजात् का परीक्षण किया। रेस्पोडेन्ट हेमाराम पुत्र देवाराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल तहसील बाली के खसरा नम्बर 1029 रकबा 2.11 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल के खसरा नम्बर 1019 रकबा 2.20 हैक्टेयर में से नया मार्ग प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टस को आक्षेप/आपत्ति प्रसतुत करने हेतु नोटिस जारी किए एवं तहसीलदार बाली को मौका एवं रेकर्ड की स्थिति की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किए गए, वे नोटिस खेताराम, मीरो व भीकाराम द्वारा व्यक्तिशः तामील किए गए है, जो अपीलाण्ट्स के कुटुम्ब के व्यस्क सदस्य होने के कारण तामील माना गया है। तहसीलदार बाली द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.03.2015 के जरिये अवगत कराया कि आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 1022 गै0मु0 नाला में से होकर अपने खेत में आता जाता था। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1029 में से 368 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होगी। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट को रास्ता प्रदान कराने के आदेश पारित किए। इस सम्बन्ध में नक्शा का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रथम दृष्टया आवेदक हेमाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1029 किसी भी तरफ से मार्ग से लगता हुआ नहीं है तथा न ही कोई मार्ग इस भूमि को एप्रोच करता है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 1022 में से आवागमन करना बताया है, जो गै0मु0 नाला है तथा नाले में से रास्ता प्रयुक्त नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बाली द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट्स हेतु खसरा नम्बर 1020, 1025 व 1026 भी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर उपलब्ध होना जाहिर किया, जबकि नक्शा अनुसार से तीनों ही खसरा नम्बरान की भूमि भी रास्ते से लगते हुए नहीं है। इस कारण अपीलाण्ट के इस तथ्य में कोई बल नहीं हैं, कि उक्त भूमियां वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोगी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी भूमि में से 368 वर्गमीटर भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.12(3)राज./रास्ता/2015/1270 दिनांक 13.07.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.1.18 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली